

EMPLOYEES SELECTION BOARD, BHOPAL

"Chayan Bhawan", Main Road No.1, Chinar Park (East), Bhopal - 462011 0755-2578801-02 Toll Free No.: 18002337899 Email : complaint[dot]esb[at]mp[dot]gov[dot]in



समृह-1 उप समृह-1 एवं समृह-2 उप समृह-1 संयुक्त भर्ती परीक्षा - 2023 Group-1 Sub Group-1 & Group-2 Sub Group-1 Combined Recruitment Test - 2023 प्रवेश-पत्र (भाग-1) Test Admit Card (PART-I)

परीक्षा केन्द्र Test Centre :- SAG Extension, Sahara Bypass Roa Pradesh BHOPAL	•	Test Paper - B-वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी Examination Date 22/07/2023 Examination Time 02:30 PM to 05:30 PM Reporting Time: 12:30 Noon Last entry in the examination centre : 01:30 PM			
TAC Code		R19202702			
आधार क्रमांक / Aadhar No.		XXXXXXXX4487		Farmice Hydra	
फोटोयुक्त पहचान-पत्र तथा क्रमांक Photo Identification & No.		AADHAAR CARD XXXXXXXX4487		22/04/2023	
शारीरिक स्थाई पहचान चिन्ह Permanent Body Mark		CUT MARK ON LEFT CHEEK		RAMKESH YADAV	
श्रेणी/संवर्ग Category/Class	UR/NIL -	मूल निवासी Domicile	NO	Tie	
जन्मतिथि Date of Birth	14/07/1988	लिंग Gender	Male	THE STATE OF THE S	
पिता/पति का नाम F/H Name	RAM NAYAN YADAV			& \& \&	
अभ्यर्थी का नाम Name of Candidate	RAMKESH YADAV				
अनुक्रमांक Roll No.	11221920	आवेदन क्रं. Application No.	4407230521949		

- नोट:-1. ESB द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट मे से कोई एक को चयनित कर सकता है।
 - 2. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
 - 3. परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व बायोमेट्रिक सत्यापन करना आवश्यक है।
 - 4. उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचे, प्रवेश के समय केंद्र पर भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखे। उम्मीदवार को अपना मास्क, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज (एडिमट कार्ड, आईडी कार्ड), एक साधारण पारदर्शी बॉल प्वाइंट पेन , उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु अतिरिक्त फोटो , हैंड सेनेटाइजर (50 ml), पानी की पारदर्शी बोतल लाना आवश्यक है।
 - 5. आवेदक अपना आधार कार्ड क्रमांक अनलॉक कर ही परीक्षा हेतु उपस्थित होवें।
 - 6. दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो लेखन सहायक रखने हेतु पात्र है, को इस परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम शैक्षणिक योग्यता धारित लेखन सहायक की पात्रता होगी एवं वे इस हेतु लेखन सहायक का वर्तमान वर्ष की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण - पत्र, लेखन सहायक के आधार कार्ड की प्रति परीक्षा केंद्र पर ले जाना आवश्यक होगा अन्यथा लेखन सहायक की सुभिधा नहीं ले सकेंगे।

cut here	cut here	

Group-1 Sub Group-1 & Group-2 Sub Group-1 Combined Recruitment Test - 2023

Test Admit Card (PART-II) (To be handed over to Invigilator during examination)

	अंगूठे का निशान Thumb Impression	Roll No.	11221920	Application No.	4407230521949	
ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो की ही प्रति यहाँ चिपकाऐं एवं स्वयं सत्यापित करें। Affix self attested photograph as uploaded with the online application form.		Name of Candidate :- RAMKESH YADAV				
		F/H Name :- RA	F/H Name :- RAM NAYAN YADAV			
		Date of Birth	14/07/1988	Gender	Male	
		Domicile	NO	Category/Class	UR/NIL	
		Aadhar No.	XXXXXXX4487			
		Test Centre	SAGE University katara Hills Extension, Sahara Bypass Road, Bhopal-Madhya Pradesh BHOPAL			
आप इस परीक्षा में क्यों सम्मिलित हो- write in about 50 words in yo	The state of the s		•	Why you wish to app	pear in this Exam?	

सामान्य निर्देश GENERAL INSTRUCTION (For Office useonly)

प्रवेश-पत्र पार्ट-2 का सत्यापन परीक्षा के पूर्व प्रवेश-पत्र पार्ट-1 एवं मण्डल से प्राप्त उपस्थिति पत्रक से किया जाना होगा तथा प्रवेश-पत्र पार्ट-2 को प्रवेश-पत्र पार्ट-1 से पृथक कर मंडल को भेजा जाना होगा। THE TEST ADMIT CARD PART-II IS TO BE VERIFIED BEFORE THE EXAMINATION WITH THE TEST ADMIT AND RECORD OF ATTENDANCE RECEIVED FROM MANDAL AND HAS TO SEPARATE THE TEST ADMIT CARD PART-II FROM THE TEST ADMIT CARD PART-I AND SHALL HAVE TO BE SENT TO THE MANDAL.

महत्वपूर्ण निर्देश Important Instruction

- (1) डाउनलोड व मुद्रित किये गये प्रवेश-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर सकता है।
 - Downloaded printout of the Test Admit Card enables Candidates to enter in the Examination Centre.
- (2) निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात् उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। Candidate will not be allowed to enter in the Examination Centre after the Reporting Time.
- (3) मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र लाने पर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता होगी(नियमपुस्तिका के पृ- क्रं. 01, बिन्दु क्रं. 02 & 03 अनुसार) **UIDAI द्वारा सत्यापित (verify)** होने पर ही **ई-आधार मान्य होगा।**

Candidate should bring original Photo-Id to enter in the Examination Centre (As per rule book page no. 1, point 02 & 03). **E-Aadhar Card will be valid only if verified by UIDAI.**

- (4) टी.ए.सी. के द्वितीय भाग में स्वहस्ताक्षरित फोटो लगाना अनिवार्य है।
 - Candidate should compulsorily paste the self attested Photo in the second part of Test Admit Card.
- (5) मण्डल की वेबसाईट <mark>www.esb.mp.gov.in</mark> पर परीक्षा से संबंधित मॉकटेस्ट उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसके माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया से अवगत होकर ही परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयें।

Mock Test is available on ESB Website <u>www.esb.mp.gov.in</u>, Candidate must practice about online examination process before appearing in the Examination.

- (6) परीक्षा हाल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया उपरांत दिया जायेगा।
 - Candidate can enter in the Examination Hall after the Biometric Process.
- (7) परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा अर्जित किया गया स्कोर कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
 - After the completion of online examination, the score of the candidate will be displayed on the Computer Screen.
- (8) मल प्रवेश-पत्र तथा मल पहचान-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री परीक्षा केन्द्र में ले जाना निषिद्ध है।
 - Only Test Admit Card and Original Photo-ID is allowed in the Examination Hall. Other things are strictly prohibited.
- (9) परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार के केल्कुलेटर, बीपर्स, पेजर्स, मोबाईल,सेल फोन या अन्य कोई इलेक्ट्रिक उपकरण आदि पूर्णतः वर्जित है।
 - Any kind of Calculators, Beepers, Pagers, Mobile, Cell, Phones or any other Electronic Devices are strictly prohibited in the Examination Hall.

<mark>वैधानिक चेतावनी :-</mark> किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/गलत प्रपत्र/फर्जी प्रपत्र प्रस्तुत करनें/धोखाधड़ी करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अनसार अधिकतम सात वर्ष की सजा, जर्माना या दोनों हो सकते हैं।

Statutory Warning:- Impersonation, Submission of false or forged information / documents are offences punishable for a maximum of seven years imprisonment or fine or both under Indian Penal Code.

<mark>अनापत्ति :-</mark>आवेदकों/अभ्यर्थियों को त्वरित जानकारी के लिए वेबसाईट पर प्रदर्शित किसी भी जानकारी में होने वाली त्रुटि के लिए ESB जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई गई जानकारी/सूची में दिया गया विवरण ही सही व मान्य होगा।

Disclaimer - EMPLOYEES SELECTION BOARD, BHOPAL is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the information being published on this website. This is for the purpose of immediate information to the examinees. The version supplied to the concerned department by ESB would be deemed to be final in the case of a discrepancy, if any.

Print